भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 227

जिसका उत्तर 4 दिसम्बर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया

सी.ए. फर्म

227. श्री डी.एम. कथीर आनन्द:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में राष्ट्रीयकृत बैंकों में सी.ए. फर्मों द्वारा समवर्ती लेखापरीक्षा (कंकरंट ऑडिट) आंतरिक लेखापरीक्षा (इंटरनल ऑडिट) और भंडार लेखापरीक्षा (स्टॉक ऑडिट) की सेवाएं लेना कम कर दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रिज़र्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने यह निर्णय लिया है कि प्रतिवर्ष 40 करोड़ रु. से कम टर्न ओवर वाले बैंकों का समवर्ती लेखापरीक्षा (कंकर्रट ऑडिट) नहीं करवाया जाएगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष-वार और बैंक-वार कितनी सी.ए. फर्मों की सेवाएं ली गई?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क): सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में समवर्ती लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा और स्टॉक ऑडिट करने के लिए सीए फर्मों को कार्य पर नहीं रखती है।

समवर्ती लेखापरीक्षा के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 18 सितंबर, 2019 के अपने परिपत्र के माध्यम से यह निर्धारित किया है कि बैंकों में उनके बोर्ड के द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए ऐसे क्षेत्रों जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, समवर्ती लेखापरीक्षक को सौंपे जाने वाले कार्य का दायरा, व्यवसाय/शाखाओं का कवरेज आदि भी शामिल है, को कवर किया जाए। तदनुसार, बैंकों में समवर्ती लेखापरीक्षा के लिए उनके अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में आंतरिक और स्टॉक ऑडिट के दायरे और इसकी प्रयोज्यता के संबंध में उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है।

(ख): आरबीआई ने सूचित किया है कि उन्होंने ऐसे पीएसबी जिनका वार्षिक टर्नओवर 40 करोड़ रुपये से कम हैं, को समवर्ती ऑडिट न कराने की सलाह देने वाला कोई निर्देश जारी नहीं किया है।

(ग): आरबीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार, विगत 3 वर्षों में वैधानिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) और वैधानिक शाखा लेखापरीक्षकों (एसबीए) के रूप में कार्यरत सीए फर्मों की कुल संख्या का वर्ष-वार और पीएसबी-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

*****

अनुबंध

सीए फर्मों के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक. 227,

विगत 3 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कार्य पर लगाए गए सीए फर्मों की संख्या

क्रम सं.	बैंक का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23	
		एससीए की संख्या	एसबीए की संख्या	एससीए की संख्या	एसबीए की संख्या	एससीए की संख्या	एसबीए की संख्या
1.	बैंक ऑफ बड़ौदा	5	2115	5	1702	5	1186
2.	बैंक ऑफ इंडिया	3	1372	3	1442	3	1820
3.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	4	413	4	387	4	299
4.	केनरा बैंक	4	2128	5	1783	5	1417
5.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	4	903	4	993	4	816
6.	इंडियन बैंक	5	1148	5	1051	5	901
7.	इंडियन ओवरसीज बैंक	4	666	4	588	4	439
8.	पंजाब नैशनल बैंक	5	2146	5	1875	5	894
9.	पंजाब एंड सिंध बैंक	4	401	4	371	4	371
10.	भारतीय स्टेट बैंक	14	4856	12	4006	12	3171
11.	यूको बैंक	5	604	4	504	4	377
12.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	6	2069	6	1701	6	1362

स्रोत: आरबीआई

*****